उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-07/2020/803/94-स्टा0नि0-2-2020-700(09)/2020

लखनऊ दिनांक, 20 अगस्त, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश प्रतिरक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 के प्रस्तर 11.8 के अधीन यथाविहित प्रयोजन हेतु इस नीति के अधीन पात्र इकाईयों के पक्ष में निष्पादित, भूमि के हस्तान्तरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-

(क) उक्त इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

(ख) जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबंधन के समय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (बैंक गारंटी), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा विहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

अथवा

ऐसे हस्तान्तरण विलेख के निबंधन के समय स्टाम्प शुल्क के छूट के समतुल्य मूल्य की भूमि के राज्य सरकार के पक्ष में बन्धक विलेख निष्पादित एवं रजिस्ट्रीकृत कराते हुए मूल बन्धक विलेख, निबन्धनकर्ता अधिकारी के पास जमा करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, बन्धक विलेख में निहित अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बन्धक की गयी भूमि का समुचित व्ययन करेगा और प्राप्त धनराशि को विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में जमा करेगा।

परन्तु यह कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, यथास्थिति उपरोक्त बैंक प्रत्याभूति अथवा बन्धक को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(वीना कुमारी)

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner